

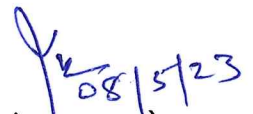
प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत डाबरी-कलकत्ता व्हाया लातरीटोला से माहुरदल्ली बोदालझोला तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वन मण्डल की 11.76 हेक्टेयर एवं उत्तर बालाघाट वन मण्डल की 3.96 हेक्टेयर कुल 15.72 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित 18.488 हेक्टेयर) वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 08.05.2023

स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)

अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग